<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
निगरानी/एल आर/6250/2006/भरतपुर
श्रीमती शान्ति अन्य बनाम श्याम लाल व अन्य</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td></td><td>

एकल पीठ

श्री धूकलराम कसवाँ, सदस्य

उपस्थित
श्री जे.के.पारीक अभिभाषक प्रार्थी
श्री अभिषेक शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

यह निगरानी उपखण्ड अधिकारी रूपवास के आदेश दिनांक 6-9-06 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 84 सपठित धारा 9 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जाब्ता दीवानी दिनांक 18-3-04 को प्रस्तुत किया जिसमें प्रार्थिया ने दिनांक 6-3-06 को जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जाब्ता दीवानी खारिज किया जावे। इस प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश के द्वारा खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी संख्या 1लगायत 3 अधीनस्थ

</td><td></td></tr>
</table>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल आर/6250/2006/भरतपुर श्रीमती शान्ति अन्य बनाम श्याम लाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय के आदेश से असन्तुष्ट एवं व्यथित पक्षकार की श्रेणी में नहीं आते हैं और न ही उन्हें अपील करने का अधिकार था, न ही उनका विवादित आराजी में कोई हक व अधिकार निहित है। उनका तर्क है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही में पक्षकारों के हक व अधिकार तय नहीं होते हैं। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करने का कोई कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया है। अपने नोन स्पीकिंग आदेश के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर बिना कोई आधार व तथ्य अंकित किये प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपने कथन के समर्थन में 2017(1) डी एन जे(राज.) पेज 270,2008(2) डी एन जे(राज.) पेज 908,959,2012(2) आर आर टी पेज 1023 की नजीरें पेश की। जबाब में अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में निगराधीन आदेश को विधिसम्म्मत बताते हुये निगरानी खारिज करने का निवेदन किया और तर्क प्रस्तुत किया कि गायत्री देवी सम्बत 2012से वादग्रस्त आराजी पर बहैसियत मौरूसीदार काश्त करती थी और काश्तकारी कानून लागू होने पर वादग्रस्त आराजी की खातेदार हो गई और उनके फौत होने के बाद हम विरासतन वादग्रस्त आराजी के खातेदार हो गये। इसलिये हमारा प्रत्यक्ष रूप से हित निहित है। हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी बारीकी से अवलोकन किया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल आर/6250/2006/भरतपुर श्रीमती शान्ति अन्य बनाम श्याम लाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधीनस्थ न्यायलय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण की ओर से नामान्तरकरण संख्या 796 के विरूद्ध अपील पेश करने हुये अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु धारा 96 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिसका जबाब एवं आपति प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया। उक्त आपति प्रार्थना पत्र एवं जबाब को अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दिया। जबाब प्रार्थना पत्र एवं आपति को खारिज करने का कोई कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया गया है। उनके द्वारा पारित आदेश स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2017(1)डी एन जे(राज.)पेज 270 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि– Civil Procedure Code,1908-O.6R.17- Application fileld to amend the petition-Trial court allowed the application without assigning any reason- Trial Court even not considered the arguments- Non speaking order passed -Held Order set aside and the Trial court is directed to pass a fresh order. 2008(2) डी एन जे(राज.) पेज 908,959, में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि– Civil Procedure Code 1908-Sec.151-Application dismissed without considering the facts and law-Non speaking oredr- Order set aside and case remitted to the Tribunal to decide the application afresh by speaking order. Civil Procedure Code 1908-O.26R.9&10-Suit for permanent injunction-Disobedience of order of temporary injunction -Application filed for inspection of the disputed property to prove the	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल आर/6250/2006/भरतपुर श्रीमती शान्ति अन्य बनाम श्याम लाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	disobedience of order-Application rejected- No reasons assigned for rejecting the application - Non speaking order- Order set aside and trial court is directed to reconsider the application . इसी प्रकार 2012(2) आर आर टी पेज 1023में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि– Code of Civil Procedure 1908-Order 8,Rule 1,10&Order 41Rule 23-Partition decree passed in absence of W.S. of defendant-Only affidavit evidence of the plaintiff- Trial Court not assigned any reason-High Court remanded the case for denovo trial-Trial Court not critically examined the case-Held High court has not committed any illegalilty. उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर एक माह के अन्दर विस्तृत आदेश पारित करें। उभय पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 20–6–2018 को उपस्थित रहने के लिये पाबन्द किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(धूकलराम कसवाँ)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल आर/6250/2006/भरतपुर श्रीमती शान्ति अन्य बनाम श्याम लाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए